हैरीटेज जोन सम्बन्धी भवन उपविधि विषयक प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

प्रस्ताव

ताज हैरीटेज जोन के आस–पास निर्माण/विकास के नियंत्रण एवं सुनियोजित रूप में किये जाने के सम्बन्ध में।

आख्या

माननीय मुख्य सचिव, उ. प्र. शासन के आगरा भ्रमण के दौरान उनकी अध्यक्षता में दिनांक 3–9–05 को पर्यटन विकास हेतु सम्पन्न उच्चस्तरीय बैठक में विचार–विमर्श के दौरान यह निर्देश दिये गये थे कि ताजमहल के चारों ओर हो रहे निर्माण एवं विकास

को सुनियोजित रूप से सम्पादित किये जाने हेतु नियम बनाये जायें और तद्नुसार प्रभावी नियंत्रण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

आगरा महायोजना 2021, जो कि दिनांक 22.8.04 से प्रभावी है, में ''ताज धरोहर क्षेत्र'' प्रस्तावित किया गया है जिसमें ताजमहल परिसर से 500 मीटर की दूरी लेते हुए ताज नेचर वॉक क्षेत्र को सम्मिलित कर यमुना नदी के दूसरी तरफ प्रस्तावित राष्ट्रीय पार्क क्षेत्र तथा एत्माद्उद्दौला मार्ग के साथ–साथ रामबाग तत्पश्चात् यमुना पुल पार करके वाटर वर्क्स चौराहे से यमुना किनारा मार्ग के साथ–साथ रेलवे पुल तक एवं तत्पश्चात् आगरा किला को घेरते हुए मार्ग के साथ ताजमहल परिसर से 500 मीटर की सीमान्तर्गत पड़ने वाला क्षेत्र आता है।

महायोजना के अनुसार जहाँ ताजमहल परिसर से 500 मीटर की दूरी तक किसी भी प्रकार का निर्माण प्रतिबन्धित है, वहीं ताजमहल के विश्वस्तरीय महत्व को देखते हुए ताजमहल के परिसर से 500 मीटर से 01 किलोमीटर तक किसी भी प्रकार के निर्माण/विकास के सन्दर्भ में वास्तुकलात्मक नियंत्रण रखा जाना समीचीन होगा।

अतः प्रस्ताव है कि 500 मीटर से 750 मीटर की दूरी तक एक मंजिले अथवा 3.75 मीटर ऊँचाई तक के भवन ही अनुमन्य किये जायें तथा 750 मीटर से 01 किलोमीटर तक के क्षेत्र में दो मंजिले अथवा 7.50 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवन निर्माण को निम्नानुसार प्रतिबन्धित किया जाना उपयुक्त होगा–

(1) निर्मित किये जाने वाले भवनों का एलीवेशन मुगल शैली के अनुरूप होगा।

(2) भू–उपयोग महायोजना के अनुसार अनुमन्य होगा।

(3) भू–आच्छादन एवं सेट बैक भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2000 के अनुसार अनुमन्य होंगे।

(4) अनाधिकृत निर्माण शमनीय नहीं होगा।

प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष उक्त प्रस्ताव विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है। प्राधिकरण के निर्णयानुसार बायलॉज में समावेश होने के उपरान्त शासन की स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्यवाही किये जाने पर भी अनुमति वांछित है।

नगर नियोजक